

न्यायालय लोक अदालत, दुमका

वाद सं०...५३५.../२०१७

कमल किशोर गैसल बनाम अक्षय पट्ट गैसल

द्वारा- 107 द० प्र० सं०

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

आदेश

अभिलेख लोक अदालत में उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद की निर्धारित अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस करें।

सदस्य संख्या-1  
लोक अदालत  
दुमका

सदस्य संख्या-2  
लोक अदालत  
दुमका

सदस्य संख्या-3  
लोक अदालत  
दुमका

30-06-18